न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/79 दिनांक 12.1.18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 33/17 अनवान शंकरलाल वगैरा बनाम गोमा वगैरा में न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.01.2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 33/17 अन्तर्गत धारा 251 (क) Rt Act में निर्णय दिनांक 10.01.2018 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2018 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 33/17 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. शंकरलाल पुत्र जगमालराम 2.कंवरलाल पुत्र रामलाल जाति मेगवाल निवासी मीठीनाडी, धनाऊ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1.गोमा 2.माला पि.रूखू 3.लाछी पत्नि रूखू 4.काछू 5.टीकमा पि. काना 6. मोटा पुत्र अजा 7.दमा पुत्र मेहरा जातियान मेगवाल निवासी मीठीनाडी, धनाऊ तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :– श्री पवन धारीवाल

विप्रार्थीगण वकील :– श्री जगदीश पोटलिया, श्री मोहनलाल खिलेरी

निर्णय

दिनांक 10.01.18

प्रार्थीगण शंकरलाल पुत्र जगमालराम वगैरा जाति मेगवाल निवासी मीठीनाडी (धनाऊ), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की जोत मौजा मीठीनाडी (धनाऊ), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 840/596 रकबा 10.00 बीघा स्थित है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 596 रकबा 60.04 बीघा एवं खसरा सं. 599 रकबा 09.02 बीघा मौजा मीठीनाडी (धनाऊ), में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थी सं. 1, 3, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया उपस्थित हुए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवदेन पर तहसीलदार को मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प बिसारणिया में पेश हुई। विप्रार्थीगण की ओर से विप्रार्थी सं. 4 व 5 उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर विप्रार्थीगण की ओर से असहमति जाहिर की गई। विप्रार्थीगण की ओर से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से निवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौहटन को उपरोक्त चाहे गये रास्ते के

(SDO) चौहटन

संबंध में पुनः मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया । विप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल खिलेरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान के आवेदन में भूमि मौजा मीठीनाडी (धनाऊ) के खसरा सं. 849/596 रकबा 16.14 बीघा में से रकबा 01.09 बीघा भूमि रास्ते हेतु समर्पित कर दी है। उक्त समर्पित भूमि को गै.मु.रास्ता दर्ज करवाने की कृपा करावे। रास्ते हेतु समर्पित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि किसी भी खाते जमा नहीं करवाने की कृपा करावे। समर्पण भूमि हेतु तहसीलदार सेड़वा के आदेश की प्रति एवं समर्पित भूमि के नक्शे की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई।

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित हुए । उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं का कहना है कि रास्ते हेतु समर्पित भूमि को गै.मु.रास्ता में दर्ज करने के आदेश किये जावे। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। चूंकि रास्ते हेतु भूमि का समर्पण किया जा चुका है और समर्पित की गई भूमि रास्ते के उपयोग हेतु है। अतः समर्पित भूमि को गै.मु.रास्ता दर्ज करना न्यायोचित होगा ।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा रास्ते हेतु समर्पित भूमि मीठीनाडी (धनाऊ) के खसरा सं. 849/596 रकबा 16.14 बीघा किस्म बा.सो. में से 01.09 बीघा भूमि सलंग्न नक्शा में बरंग लाल को गै.मु.रास्ता दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन का समर्पित भूमि आदेश एवं नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। उपरोक्त रास्ते हेतु समर्पित भूमि हेतु किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी । उपरोक्त भूमि को गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश आज दिनांक 10.01.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर चौहटन सत्यमेव जयते

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

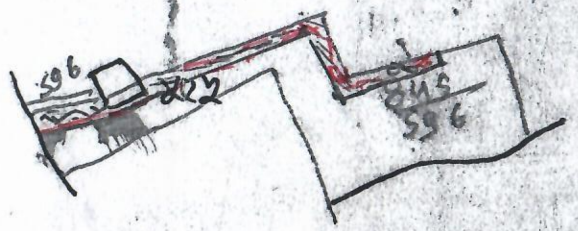

P-35 के क्र.सं. 8215 पर दर्ज कर नकल जारी की गई
सत्यप्रति प्रमाणित ।

पटवारी.......
तहसील चौहटन

तहसीलदार चौहटन

नाम अधिवक्ता

न्यायालय की मोहर